


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5, 1938

No. 521]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 742(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3) धारा 133, धारा 134 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में और संशोधन करने के स्थान पर निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 6 में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय कथन तैयार करने के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि यह निम्नलिखित शर्तें पूरा करती है:

(i) यह पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी है या किसी अन्य कंपनी के अंशतः स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी है और इसके अन्य सभी सदस्य, जो अन्यथा मतदान के हकदार नहीं हैं उन्हें शामिल करते हुए, को लिखित में संसूचित किया गया है और ऐसी सूचना की तामील का साध्य कंपनी के पास उपलब्ध है, और उन्हें मूल कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय कथन नहीं रखे जाने पर कोई आक्षेप नहीं है;

(ii) यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में नहीं हैं; और

(iii) इसकी मूल या कोई अंतरवर्ती नियंत्री कंपनी रजिस्ट्रार के पास समेकित वित्तीय कथन फाइल करती है जो लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में है।”

3. मूल नियम के नियम 8 के उपनियम (1) में “और रिपोर्ट में एक पृथक खंड होगा जिसमें समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल प्रत्येक समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी और सहउद्यम कंपनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट होगी” शब्दों के स्थान पर “और समनुषंगी कंपनियों, सहयुक्त कंपनियों और सहउद्यम कंपनियों के निष्पादन के मुख्य बिन्दुओं तथा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में उनके योगदान पर रिपोर्ट करेगी” शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियम के नियम 13 के उपनियम (1) में.- (क) शुरुआती हिस्से में “या आंतरिक लेखापरीक्षकों के किसी फर्म” शब्दों के स्थान पर “जो कोई व्यक्ति या कोई भागीदारी फर्म या कोई कारपोरेट निकाय हो सकता है” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) स्पष्टीकरण में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

‘(ii) “चार्टर्ड अकाउंटेंट” या “लागत लेखाकार” पद का आशय यथास्थिति कोई “चार्टर्ड अकाउंटेंट” या कोई “लागत लेखाकार” है भले ही वह वाणिज्यरत हो या न हो।’

5. मूल नियम के उपाबंध में,-

(क) प्ररूप एओसी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप एओसी-1 रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप एओसी-1

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में]

समनुषंगी या सहयुक्त कंपनियों या सहउद्यम के वित्तीय कथन की प्रमुख विशेषताओं का कथन

भाग “क”: समनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक समनुषंगी के संबंध में जानकारी रुपए में राशि के साथ प्रस्तुत की जाए)

1. क्रम संख्या
2. समनुषंगी कंपनी का नाम
3. समनुषंगी कंपनी के अर्जन करने की तारीख
4. समनुषंगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्री कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से विभिन्न हो
5. विदेशी समनुषंगी कंपनी के मामले में सुसंगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर
6. शेयर पूंजी
7. आरक्षित और अधिशेष
8. कुल आस्तियां
9. कुल देयताएं

10. निवेश
11. व्यापारावर्त
12. कराधान पूर्ण लाभ
13. कराधान के लिए उपबंध
14. कराधान उपरांत लाभ
15. प्रस्तावित लाभांश
16. शेयरधारण का विस्तार (प्रतिशत में)

टिप्पण: कथन के अंत में निम्नलिखित जानकारीयां दी जाएं:

1. ऐसी समनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी वाणिज्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. ऐसी समनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया या विक्रीत किया गया।

भाग ख सहयुक्त कंपनियों और सहउद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सहयुक्त कंपनियों और सहउद्यम से संबंधित कथन

सहयुक्त कंपनी या सहउद्यम का नाम	नाम 1	नाम 2	नाम 3
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख			
2. सहयुक्त कंपनी बनाए जाने या सहउद्यम को सहयुक्त कंपनी या अर्जित करने की तारीख			
3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयुक्त या सहउद्यम कंपनी के शेयर संख्या			
सहयुक्त कंपनियों या सहउद्यम में विनिधान की राशि			
धृति का विस्तार (प्रतिशत में)			
4. महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन			
5. सहयुक्त कंपनी या सहउद्यम के समेकन नहीं करने का कारण			
6. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारण का आरोप्य निवल मूल्य			
7. वर्ष के स्थान पर लाभ या हानि			
i. समेकित रूप से विचार किया हुआ			
ii. समेकित रूप से विचार नहीं किया हुआ			

1. ऐसी सहउद्यम कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी वाणिज्य प्रारंभ नहीं किया है।
2. ऐसी सहयुक्त और सहउद्यम कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन कर दिया गया या विक्रीत किया गया।

टिप्पण: इस प्ररूप को उसी रीति में प्रमाणित किया जाए जैसे तुलन-पत्र को प्रमाणित किया जाना है।”

(ख) प्ररूप एओसी-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप एओसी-4 रखा जाएगा, अर्थात्:-

<p>“प्ररूप संख्या एओसी-4 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसरण में]</p>	 सत्यमेव जयते	<p>रजिस्ट्रार को वित्तीय कथन और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के स्थान पर प्ररूप</p>
---	---	--

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी
प्ररूप भरने के स्थान पर अनुदेश किट देखें

टिप्पण -

-सभी चिन्हित खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

-ई-प्ररूप में प्रस्तुत आंकड़े केवल पूर्ण रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़े को सौ, हजार, लाख, मिलियन या करोड़ जैसी अन्य यूनिट में पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

फाईल की तारीख को कंपनी प्राधिकृत पूंजी

फाईल की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

खंड-1 तुलन पत्र की बाबत सूचना और विशिष्टियां

भाग क

I. कंपनी की साधारण सूचना

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या _____ (पूर्व-पूरित)
- (ख) कंपनी का वैश्विक स्थान संख्या (जी एल एन) _____
2. (क) कंपनी का नाम _____
- (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....
- (ग) *कंपनी की ई मेल आईडी.....
- 3.*वित्तीय कथन से संबंधित वित्तीय वर्ष
..... (दिन/मास/वर्ष) से (दिन/मास/वर्ष) तक
4. (क)*निदेशक मंडल के बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय कथन को अनुमोदित किया गया (दिन/मास/वर्ष)
- (ख) (i) वित्तीय विवरणों की प्रकृति
- (ii) पुनरीक्षण की प्रकृति 0 वित्तीय कथन 0 निदेशकों की रिपोर्ट 0 दोनों
- (iii) क्या पहले अनंतिम वित्तीय कथन फाईल किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
- (iv) क्या स्थगित एजीएम में अंगीकृत किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
- (v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें वित्तीय कथन अपनाया गया था
- (vi) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन
- (vii) *प्ररूप एओसी-4 का एसआरएन

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

(ग) वित्तीय कथन पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनी के निदेशक (कों) प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ का कथन

निदेशक के स्थान पर निदेशक पहचान संख्या (डिन) और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ के स्थान पर आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

सभी पूर्व पूरित

डिन या आयकर पैन	नाम	पदनाम	वित्तीय कथन पर हस्ताक्षर करने की तारीख

5. (क) निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें धारा 134 के अधीन बोर्ड रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया -----

(दिन/मास/वर्ष)

(ख) बोर्ड रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक(कों) का कथन

सभी पूर्व पूरित

डिन या आयकर पैन	नाम	पदनाम	बोर्ड की रिपोर्ट के हस्ताक्षर की तारीख

6. *लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख ----- (दिन/मास/वर्ष)

7. (क) क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) आयोजित हुई 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

(ख) यदि हां, तो एजीएम की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

(ग) एजीएम की सम्यक तारीख(दिन/मास/वर्ष)

(घ) क्या वित्तीय वर्ष या एजीएम के स्थान पर कोई समय विस्तार दिया गया है
0 हां 0 नहीं

(ड.) यदि हां, तो समय विस्तार के पश्चात् एजीएम की निर्धारित तारीख..... (दिन/मास/वर्ष)

8. (क) *क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत यथा परिभाषित समतुल्य कंपनी है ___ हां ___ नहीं

(ख) नियंत्रित कंपनी का सी आई एन, यदि लागू हो _____ (पूर्व-पूरित)

(ग) नियंत्रित कंपनी का नाम _____

(घ) उपबंध जिसके अनुसरण में कंपनी एक समनुषंगी कंपनी बन गई है _____

9.(क) * क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई समनुषंगी कंपनी है ____हां__ नहीं

(ख) यदि हां, समनुषंगी कंपनी की संख्या का उल्लेख करें ----- सभी पूर्व पूरित

1. समनुषंगी कंपनी का सी आई एन _____

समनुषंगी कंपनी का नाम _____

उपबंध, जिसके अनुसरण में कंपनी समनुषंगी हो गई है _____

10. *लेखा परीक्षकों की संख्या _____

(I) (क) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक के फर्म का आयकर पैन -----

(ख) लेखापरीक्षक की प्रवर्ग _____ व्यक्ति _____ लेखापरीक्षक की फर्म

(ग) *लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक के फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या -----

(घ) *प्ररूप एडीटी-1 का एस आर एन _____ पूर्व पूरित

(ड.) * लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम _____

(च) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का पता

पंक्ति I -----

पंक्ति II -----

* शहर -----

* राज्य _____

देश _____

*पिन कोड _____

(छ) उपर्युक्त फर्म के स्थान पर हस्ताक्षर कर रहे सदस्य का कथन

सदस्य का नाम -----

सदस्य संख्या -----

11. (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-3 लागू है ____ हां ____ नहीं

(ख) *उद्योग का प्रकार _____

टिप्पण : उद्योग का प्रकार, यदि बैंककारी या विद्युत (पॉवर) या बीमा या गैर-बैंककारी वित्तीय कारपोरेशन से भिन्न है तो वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) का चयन करें

12. *क्या समिकित वित्तीय कथन अपेक्षित है 0 हां 0 नहीं

13. (क) *क्या कंपनी लेखाबहियां और अन्य सुसंगत बहियां तथा दस्तावेजों का रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में करती है
0 हां 0 नहीं

(ख) कंप्यूटर सर्वर के रख-रखाव के स्थान का पूरा डाक पता (लेखा आंकड़ा भंडार)

*पंक्ति 1

पंक्ति 2

*नगर

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र *पिन कोड

*जिला

आईएसडी देश कोड

देश का नाम

*दूरभाष संख्या (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)

(ग) सेवा प्रदाता का कथन (यदि कोई हो)

(i) सेवा प्रदाता का नाम

(ii) सेवा प्रदाता का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता

(iii) सेवा प्रदाता की अवस्थिति

(iv) क्या कंपनी लेखाबहियां और अन्य सुसंगत बहियां तथा दस्तावेजों का रख-रखाव क्लाउड में करती है
0 हां 0 नहीं

सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया पता

भाग-ख

1. तुलन-पत्र

	विशिष्टियां	(चालू रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (रूपयों में) (तारीख/मास/वर्ष)	(पिछली रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (रूपये में) _____ (तारीख/मास/वर्ष)
I.	साम्या और दायित्व शेयरधारकों की निधि (क) शेयर पूंजी (ख) आरक्षिती और अधिशेष		
	(ग) शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त की गई धनराशि		
(2)	आबंटन के स्थान पर लंबित शेयर आवेदन धन राशि		
(3)	गैर-चालू दायित्व		
	(क) दीर्घकालिक उधार		
	(ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		
	(ग) अन्य दीर्घकालीन उधार		
	(घ) दीर्घकालिक उपबंध		
(4)	चालू दायित्व		
	(क) लघुकालिक उधार		
	(ख) व्यापार संदेय		
	(ग) अन्य चालू दायित्व		
	(घ) लघुकालिक उपबंध		
	कुल	0.00	0.00
II.	आस्तियां		
(1)	गैर-चालू आस्तियां		
	(क) नियत आस्तियां		
	(i) मूर्त आस्तियां		
	(ii) अमूर्त आस्तियां		
	(iii) चालू पूंजीगत कार्य		
	(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		
	(ख) गैर-चालू विनिधान		
	(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		
	(घ) दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
	(ड.) अन्य गैर-चालू आस्तियां		
(2)	चालू आस्तियां		
	(क) चालू विनिधान		
	(ख) तालिका		
	(ग) व्यापार प्राप्तव्य		
	(घ) नकद और नकद समतुल्य		
	(ड.) लघुकालिक उधार और अग्रिम		

	(च) अन्य चालू आस्तियां		
	कुल	0.00	0.00

2. तुलन पत्र मदें (धनराशि रूप में)

क. दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत) का कथन

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
बंधपत्र/डिवेंचर		
अवधि उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
आस्थगित भुगतान दायित्व		
निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत)	0.00	0.00
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ख. लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत) का कथन

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
मांग पर प्रतिसंदेय उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
निक्षेप		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत)	0.00	0.00
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ग. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए)

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति जमा		
अन्य संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		

घटाएं: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के स्थान पर उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए)	0.00	0.00
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय उधार और अग्रिम		

घ. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद) का कथन

	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों को उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाएं: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के स्थान पर उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद)	0.00	0.00
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय उधार और अग्रिम		

ङ. व्यापार प्राप्तव्य का कथन

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि	
	छह मास से अधिक	छह मास के भीतर	छह मास से अधिक
प्रतिभूत, माल माने गए			
अप्रतिभूत, माल माने गए			
शंकास्पद			
कुल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00
घटाएं: डूबे और शंकास्पद उधार के स्थान पर उपाबंध/भत्ता			
निवल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00
कंपनी के (निदेशकों/अन्य अधिकारियों) द्वारा देय उधार			

3. वित्तीय मानदंड- वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक तुलनपत्र मर्दे (धनराशि रु. में)

1. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान नकद में संदाय प्राप्त किए बिना जारी संविदाओं की धनराशि _____
2. प्रदत्त शेयर आवेदन _____
3. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्रदत्त शेयर आवेदन धन _____
4. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन धन _____
5. प्राप्त और वापसी के स्थान पर देय शेयर आवेदन धन -----
6. विदेशी कंपनी द्वारा धारित समादत्त पूंजी _____
7. विदेशी नियंत्रि और/या अपने समानुषंगियों के माध्यम से धारित समादत्त पूंजी _____
8. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या _____
9. रिपोर्ट वाली अवधि के स्वीकृत या नवीकृत निक्षेप _____
10. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किंतु जिनको संदत्त नहीं किया गया _____
11. परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
12. निक्षेप परिपक्व परन्तु दावा नहीं किया गया _____
13. गैर-दावाकृत परिपक्व डिबेंचर _____
14. दावाकृत डिबेंचर किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
15. निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज और देय किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
16. असंदत्त लाभांश _____
17. समानुषंगी कंपनियों में विनिधान _____
18. सरकारी कंपनियों में विनिधान _____
19. पूंजीगत आरक्षिती _____
20. विनिधानक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरण के स्थान पर देय धनराशि _____
21. अंतर कारपोरेट निक्षेप _____
22. ए एस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संब्यवहार का कुल मूल्य _____
23. सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त पूंजीगत समनुषंगी या अनुदान _____
24. निदेशकों द्वारा संदत्त न की गई कॉलें _____
25. अन्य द्वारा भुगतान न की गई कॉलें _____
26. समपहृत शेयर (मूल समादत्त धनराशि) _____
27. पुनः जारी समपहृत शेयर _____
28. विदेशी संस्थागत अभिकरण से उधार _____
29. विदेशी कंपनियों से उधार _____
30. अंतर कॉरपोरेट उधार-प्रतिभूत _____
31. अंतर कॉरपोरेट उधार-अप्रतिभूत _____
32. वाणिज्यिक कागज-पत्र _____
33. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान साम्या शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____

34. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अधिमानी शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
35. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान डिबेंचरों शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
36. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (विदेशी करेंसी में) _____
37. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (रु. में) _____
38. लघुकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज _____
39. दीर्घकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज _____
40. क्या कोई प्रचालन पट्टा वित्तीय पट्टा या विलोमतः संपरिवर्तित हुआ है ___ हां ___ नहीं
इस प्रकार के संपरिवर्तनों का कथन दें

--

41. कंपनी का निवल मूल्य _____
42. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें प्राइवेट स्थानन के अंतर्गत शेयर आबंटित किए गए

43. प्रतिभूत उधार _____
44. कुल स्थिर आस्तियां (अमूर्त आस्तियां सहित) _____
45. अपक्षयण और अपाकरण _____
46. बट्टे खाते में समायोजित नहीं किया गया प्रकीर्ण व्यय _____
47. अवाधित विदेशी विनिमय अनुभव

4. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान समुत्थापित गई शेयर पूंजी (धनराशि रु. में)

	साम्या शेयर	अधिमानी शेयर	कुल
(a) पब्लिक निर्गम			0.00
(ख) बोनस निर्गम			0.00
(ग) अधिकार निर्गम			0.00
(घ) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न प्राइवेट स्थानन			0.00
(ङ.) अन्य प्राइवेट स्थानन			0.00
(च) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न अधिमानी आबंटन			0.00
(छ) अन्य अधिमानी आबंटन			0.00

(ज) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी)			0.00
(झ) अन्य			0.00
(ञ) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान समुत्थान गई शेयर पूंजी की कुल धन राशि	0.00	0.00	0.00

5. लागत अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षक से संबंधित कथन

1. *क्या कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का अनुरक्षण, कंपनी (लागत अभिलेख और लागत लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अंतर्गत अधिदेशित है __ हां __ नहीं

यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसके अधीन यह उत्पादन/सेवा आवृत्त है।

--

2. *क्या कंपनी के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा क्र.सं.-1 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन है __ हां __ नहीं

यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसके अधीन यह उत्पादन/सेवा आवृत्त है।

--

खण्ड 2 - लाभ और हानि लेखा के संबंध में सूचना और विशिष्टियां

1. लाभ और हानि का कथन

	विशिष्टियां	अवधि से संबंधित आंकड़े (चालू रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) तक _____ (तारीख/मास/वर्ष)	अवधि से संबंधित आंकड़े (पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) से तक _____ (तारीख/मास/वर्ष)
(I)	प्रचालन से राजस्व		
	देशी आवर्त		
	(i) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		
	(ii) व्यापार होने वाले उत्पादों की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री और आपूर्ति		
	निर्यात व्यापारावर्त		
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
	(ii) व्यापार किए गए वस्तुओं की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		

(II)	अन्य आय		
(III)	कुल राजस्व (I+II)	0.00	0.00
(IV)	व्यय		
	खपत की गई सामग्री की लागत		
	व्यापार के अधीन स्टॉक का क्रय		
	तालिकाओं में परिवर्तन- तैयार माल		
	काम काज प्रगति		
	व्यापार में स्टॉक		
	कर्मचारी फायदा व्यय		
	प्रबंधन पारिश्रमिक		
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	बीमा व्यय		
	विद्युत और ईंधन		
	वित्तीय लागत		
	अवक्षयण और अपाकरण व्यय		
	अन्य व्यय		
	कुल व्यय	0.00	0.00
(V)	आपवादिक और असाधारण मदों और कर (III-IV) के पूर्व लाभ	0.00	0.00
(VI)	आपवादिक मदें		
(VII)	असाधारण मदों और कर (V-VI) के पूर्व लाभ	0.00	0.00
(VIII)	असाधारण मद		
(IX)	कर से पूर्व लाभ (VII-VIII)	0.00	0.00
(X)	कर व्यय		
	i. चालू कर		
	ii. आस्थगित कर		
(XI)	जारी संचालनों से अवधि के संबंध में लाभ/(हानि) (IX-X)	0.00	0.00
(XII)	असतत संचालनों से लाभ/(हानि)		
(XIII)	असतत संचालनों पर कर व्यय		
(XIV)	सतत संचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (XII-XIII)	0.00	0.00
(XV)	लाभ/(हानि) (XI+XIV)	0.00	0.00
(XVI)	असाधारण मदों से पूर्व प्रति साम्या शेयर आय		
	मूल		
	तनुकृत		

(XVII)	असाधारण मदों के पश्चात् प्रति साम्या शेयर आय		
	(1)मूल		
	(2)तनुकृत		

2. लाभ और हानि के मदों का कथन (राशि रूप में)

क. विदेशी विनियम से आय का कथन

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
एफओबी आधार पर वस्तुओं के निर्यात की गणना		
ब्याज और लाभांश		
स्वामित्व		
व्यवहार ज्ञान		
व्यवसायिक और परामर्श फीस		
अन्य आय		
विदेशी विनियम से कुल अर्जन	0.00	0.00

ख. विदेशी विनियम से व्यय का कथन

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
सीआईएफ आधार पर वस्तुओं के आयात की गणना		
(i) कच्चा माल		
(ii) संघटक और अतिरिक्त पुर्जे		
(iii) प्रमुख पूंजी माल		
व्यय का कारण		
स्वामित्व		
व्यवहार ज्ञान		
व्यवसायिक और परामर्श फीस		
ब्याज		
अन्य मामले		
संदत्त लाभांश		
विदेशी विनियम से कुल व्यय	0.00	0.00

3. वित्तीय मापदंड- रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि वाले मद (राशि में रूप में)

1.	प्रस्तावित लाभांश		%
2.	प्रति शेयर आय (रू. में.) साधारण		
	न्यूनतम		
3.	विदेशी करेंसी में आय		
4.	विदेशी करेंसी में व्यय		
5.	सरकारी प्राधिकारी (प्राधिकारियों) से प्राप्त राजस्व अनुदान या सहायता		

6.	किराया संदत्त	
7.	भंडारण और अतिरिक्त पुर्जों खपत	
8.	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए विनियमय का सकल मूल्य (यदि लागू है)	
9.	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के डुबत उधार (यदि लागू हो)	

4. कंपनी के प्रमुख उत्पादों या सेवाओं से संबंधित कथन

उत्पादों की कुल संख्या /सेवाओं की प्रवर्ग.....

- उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का कोड (आईटीसी/एनपीसीएस 4 अंकीय का कोड)
- उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का वर्णन.....
- उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का आवर्त (रू. में).....
- आवर्त में सर्वाधिक योगदान करने वाला उत्पाद या सेवा (आईटीसी/एनपीसीएस 8 अंक कोड)
- उत्पाद या सेवा का वर्णन.....
- सर्वाधिक योगदान देने वाले उत्पाद या सेवा का आवर्त (रू. में)

टिप्पण: कृपया उत्पाद कोड के स्थान पर वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के समरसता वस्तु कथन और कूट प्रणाली तथा सेवा कोड के स्थान पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवाओं के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण' देखें।

खण्ड 3- कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सूचना

- (क) (i) *क्या धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है 0 हां 0 नहीं
- (ii) व्यापारावर्त (रुपए में)
- (iii) निवल मूल्य (रुपए में)

(ख) पिछले तीन वित्त वर्षों के स्थान पर निवल लाभ

समाप्त वित्त वर्ष			
कर पूर्व लाभ (रुपए में)			
धारा 198 के अधीन गणित निवल लाभ कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(च) के अनुसार समायोजित (रुपए में)			

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के स्थान पर कंपनी का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित) (रुपए में)
- विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 2 में दी गई राशि का दो प्रतिशत) (रुपए में)
- (क) वित्त वर्ष के स्थान पर सीएसआर पर व्यय की गई कुल राशि (रुपए में)
- (ख) स्थानीय क्षेत्र में व्यय की गई राशि (रुपए में)
- (ग) नीचे ब्यौरे के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि के व्यय की रीति सीएसआर कार्यकलापों की संख्या

(यदि कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों की संख्या बीस से अधिक है तो अनुदेश कीट में यथाविनिर्दिष्ट एक्सेल शीट में बाकी ब्यौरे प्रस्तुत करें)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप	सेक्टर, जिसके दायरे में परियोजना आती है	उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित हुए	उस जिले को विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित हुए	परिव्यय धनराशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि	प्रशासनिक शीर्षों पर व्यय	व्यय की गई राशि ढंग
1.								
2.								
3.								
	कुल							

- * कार्यान्वयन अभिकरण (अभिकरणों) का कथन दें (नाम, पता और ई मेल)
- व्यय न करने का स्पष्टीकरण
- यदि अन्य तो विनिर्दिष्ट करें
- क्या सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी सीएसआर समिति का जवाबदेयता कथन बोर्ड की रिपोर्ट के साथ उपाबध है 0 हां 0 नहीं

खण्ड 4. संबंधित पक्षकार संव्यवहार के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ, कंपनी द्वारा की गई संविदाएं/ठहराव के कथन का प्रकटीकरण जिसमें उसके तीसरे परन्तुक के अंतर्गत कतिपय सन्निकट संव्यवहार का कथन शामिल हो।

- उन संविदाओं या ठहराव या संव्यवहारों का कथन, जो दूरी बनाकर आधार पर नहीं किए गए

संबंधित पक्षकार का नाम	नातेदारी की प्रकृति	संविदाओं या ठहरावों या संव्यवहारों की प्रकृति

संविदाओं/ठहरावों/संव्यवहारों की अवधि	बोर्ड के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में संदत्त राशि, यदि कोई हो तो	धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प की तारीख

2. दूरी के आधार पर सामग्री संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार का कथन

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	संविदाओं या ठहरावों या संव्यवहारों की प्रगति

संविदाओं/ठहरावों/ संव्यवहारों की अवधि	बोर्ड के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में संदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प की तारीख

खण्ड 5: लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. (क) सरकारी कंपनी की दशा में, क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां की हैं या इसे अनुपूरित किया है

_____ हां _____ नहीं

(ख) यदि हां तो, निम्नलिखित कथन उपलब्ध कराएं-

क्र. सं.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों का कथन दिया जाए	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर
I.		
II.		

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा की है _हां_ _नहीं_

II. लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों और सीएआरओ की उपयुक्तता के ब्यौरे

1. *क्या लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अर्हित की गई है या उसमें कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं _____ हां _____ नहीं

2. यदि हां तो, स्वीकृत अथवा आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों की संख्या.....

क्र. सं.	(क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की स्वीकृत, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां	(ख) रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षकों की स्वीकृत, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों पर निदेशकों की टिप्पणियां
I.		
II.		

3. *क्या कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) लागू है 0 हां 0 नहीं

4. कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सीएआरओ) के अंतर्गत उल्लिखित मदों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां

विशिष्टियां	रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां
स्थिर आस्तियां	
माल तालिकाएं	
कंपनी द्वारा दिए गए उधार	
पब्लिक निक्षेपों की स्वीकृति	
लागत अभिलेखों का अनुरक्षण	
कानूनी शोध	
आवधिक उधार	
पाया गया कपट	
अन्य	

खण्ड-6- प्रकीर्ण

1. *क्या अनुसचिवीय लेखापरीक्षा लागू है 0 हां 0 नहीं
2. * क्या धारा 134 की उपधारा (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण संलग्न है 0 हां 0 नहीं

संलग्नक**संलग्नकों की सूची**

- 1.*धारा 134 के अनुसार सम्यक अधिप्रमाणित समेकित वित्तीय कथन (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों सहित) संलग्न करें
2. धारा 129 के अनुसार समानुपंगियों का कथन-प्ररूप एओसी - I संलग्न करें
3. वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में तुलन पत्र अंगीकार नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का कथन संलग्न करें
4. वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का कथन संलग्न करें
- 5 वित्तीय वर्ष या वार्षिक असाधारण अधिवेशन के विस्तार का अनुमोदन पत्र संलग्न करें
6. धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करें
7. धारा 135 की उपधारा (4) के अनुसार कंपनी की सीएसआर नीति संलग्न करें
8. अन्य संस्थाओं के ब्यौरे संलग्न करें
9. धारा 188 की उपधारा (1) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं/ठहरावों/ संव्यवहारों की मुख्य विशेषताएं और प्रमाणिकता - प्ररूप एओसी-2 संलग्न करें
10. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के ब्यौरे संलग्न करें
11. अनुसचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट संलग्न करें
12. धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार निदेशक रिपोर्ट संलग्न करें
13. शेष सीएसआर कार्यकलापों के ब्यौरे संलग्न करें
14. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करे

संलग्नक हटाएं

घोषणापत्र

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख के *संकल्प संख्या द्वारा से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के स्थान पर प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों में अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:

1. इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में जो भी कहा गया है वह सही, सत्य और पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषयवस्तु से संबंधित कोई सूचना रोकी या छुपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुरूप है।
2. इस प्ररूप के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

*अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हेतु डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी का पैन नं. अथवा सचिव की सदस्यता संख्या

वृतिक कर रहे व्यवसायिक का प्रमाणपत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणित हेतु सम्यक नियुक्त किया गया है। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस प्ररूप और इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल/प्रमाणित अभिलेखों से सत्यापन किया है और इन्हें सही, सत्य और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

1. उक्त अभिलेख समुचित ढंग से तैयार किए गए, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित उपबंधों के अनुसार रखे जा रहे हैं तथा इन्हें व्यवस्थित पाया गया है;
2. अपेक्षित सभी संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं;
3. मैं जानता हूँ कि किसी भी स्तर पर गलत प्रमाणन पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अंतर्गत कार्रवाई का दायी रहूंगा।

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक वाणिज्य) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक वाणिज्य) या

0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक वाणिज्य)

एसोसिएट या फैलो 0 एसोसिएट 0 फैलो

सदस्यता संख्या

वाणिज्य प्रमाणपत्र संख्या

टिप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के स्थान पर दंड और मिथ्या साक्ष्य के स्थान पर दंड का उपाबंध है।

संशोधित करें	प्ररूप की जांच	पूर्व संवीक्षा	प्रस्तुत
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

केवल कार्यालय उपयोग के लिए: फाइल करने के ब्यौरे दें
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या(एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (तारीख/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है प्रस्तुत करने की पृष्टि
हस्ताक्षर करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्ररूप ई-ढंग के माध्यम से और फाइल करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता कथन के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।”

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग]
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 239(अ) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) तारीख 14.10.2014, सा.का.नि. 37(अ) तारीख 16.01.2015 और सा.का.नि. 680(अ) तारीख 04.09.2015 द्वारा उसमें संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2016

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, (hereinafter referred to as principal rules), in rule 6, for the second proviso, the following proviso shall be substituted namely:-

“Provided further that nothing in this rule shall apply in respect of preparation of consolidated financial statements by a company if it meets the following conditions:-

(i) it is a wholly-owned subsidiary, or is a partially-owned subsidiary of another company and all its other members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to the company not presenting consolidated financial statements;

(ii) it is a company whose securities are not listed or are not in the process of listing on any stock exchange, whether in India or outside India; and

(iii) its ultimate or any intermediate holding company files consolidated financial statements with the Registrar which are in compliance with the applicable Accounting Standards.”

3. In rule 8 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words “and the report shall contain a separate section wherein a report on the performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement is presented”, the words “and shall report on the highlights of performance of subsidiaries, associates and joint venture companies and their contribution to the overall performance of the company during the period under report” shall be substituted.

4. In rule 13 of the principal rules, in sub-rule (1),- (a) in the opening portion, the words “or a firm of internal auditors”, the words “which may be either an individual or a partnership firm or a body corporate” shall be substituted;

(b) In the Explanation, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:

‘(ii) the term “Chartered Accountant” or “Cost Accountant” shall mean a “Chartered Accountant” or a “Cost Accountant”, as the case may be, whether engaged in practice or not’.

5. In the principal rules, in Annexure,-

(a) for form AOC-1, the following form AOC-1 shall be substituted, namely:-

“Form AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries or associate companies or joint ventures

Part A Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

1. Sl. No.
2. Name of the subsidiary
3. The date since when subsidiary was acquired
4. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period.
5. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.
6. Share capital
7. Reserves and surplus
8. Total assets
9. Total Liabilities
10. Investments
11. Turnover
12. Profit before taxation
13. Provision for taxation
14. Profit after taxation
15. Proposed Dividend
16. Extent of shareholding (in percentage)

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations
2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.

Part B Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

Name of Associates or Joint Ventures	Name 1	Name 2	Name 3
1. Latest audited Balance Sheet Date			
2. Date on which the Associate or Joint Venture was associated or acquired			
3. Shares of Associate or Joint Ventures held by the company on the year end			
No.			
Amount of Investment in Associates or Joint Venture			
Extent of Holding (in percentage)			
4. Description of how there is significant influence			
5. Reason why the associate/joint venture is not consolidated			
6. Networth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet			
7. Profit or Loss for the year			
i. Considered in Consolidation			
ii. Not Considered in Consolidation			

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.

2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

Note: This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified”.

(b) for form AOC-4, the following form AOC-4 shall be substituted, namely:-

“FORM NO. AOC-4

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of Rule 12 of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form for filing financial statement and other documents with the Registrar

Form Language English Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

Note-

-All fields marked in * are to be mandatorily filled.

-Figures appearing in the e-Form should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions or crores.

Authorised capital of the company as on the date of filing

Number of members of the company as on the date of filing

SEGMENT- I: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET**Part A****I. General information of the company**

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail id of the company

3. * Financial year to which financial statements relates

From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)

4. (a) *Date of Board of Directors' meeting in which financial statements are approved (DD/MM/YYYY)

(b) (i) *Nature of financial statements

(ii) Nature of revision Financial statement Directors' Report Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier Yes No Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM Yes No Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4

(viii) Date of order of competent authority

(DD/MM/YYYY)

(c) Details of director(s), manager, secretary, CEO, CFO of the company who have signed the financial statements

Provide Director Identification number (DIN) in case of director and Income –tax permanent account number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary, CEO, CFO.

Pre-fill All

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of financial statements

5. (a) *Date of Board of Directors' meeting in which Boards' report referred under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of Director(s) who have signed the Boards' report

Pre-fill

DIN	Name	Designation	Date of signing of Boards' report

6. *Date of signing of reports on the financial statements by the auditors (DD/MM/YYYY)

7.

(a) *Whether annual general meeting (AGM) held Yes No Not applicable

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) *Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) *Whether any extension for financial year or AGM granted Yes No

(e) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

8.

(a) *Whether the company is a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 Yes No

(b) CIN of the holding company, if applicable

Pre-Fill

(c) Name of the holding company

(d) Provision pursuant to which the company has become a subsidiary

9.(a) * Whether the company has a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 Yes No

(b) If yes, then indicate number of subsidiary company(ies)

Pre-fill All

I.

CIN of subsidiary company

Name of the subsidiary company

Provisions pursuant to which the company has become a subsidiary

10. *Number of auditors

I.	* (a)	Income-tax PAN of auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	* (b)	Category of auditor	<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Auditor's firm
	* (c)	Membership number of auditor or auditor's firm's registration number	<input type="text"/> <input type="text"/>
	* (d)	SRN of form ADT-1	<input type="text"/> <input type="button" value="Pre-Fill"/>
	* (e)	Name of the auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	* (f)	Address of the auditor or auditor's firm	
		Line I	<input type="text"/>
		Line II	<input type="text"/>
		*City	<input type="text"/>
		*State	<input type="text"/>
		Country	<input type="text"/>
		*Pin code	<input type="text"/>
	(g)	Details of the member signing for the above firm	
		Name of the member	<input type="text"/>
		Membership number	<input type="text"/>

11. (a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable Yes No(b) *Type of Industry

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I).

12. *Whether consolidated financial statements required or not Yes No13. (a) *Whether company is maintaining books of account and other relevant books and papers in electronic form Yes No

(b) Complete Postal Address of the Place of maintenance of computer servers (Storing Accounting Data)

*Line I	<input type="text"/>
Line II	<input type="text"/>
*State/Union Territory	<input type="text"/> <input type="text"/>
*District	<input type="text"/>
*ISO Country code	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>
*Phone (with STD/ISD code)	<input type="text"/> <input type="text"/>

(c) Particulars of the service provider (if any)

(i) Name of the service provider (ii) Internet protocol address of service provider

(iii) Location of the service provider (iv) Whether books of account and other books and papers are maintained on cloud Yes No

Address as provided by the service provider

Part –B**I. Balance Sheet**

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.)	Figures as the end of (Previous reporting period) (in Rs.)
		<input type="text"/> DD/MM/YYYY)	<input type="text"/> DD/MM/YYYY)
I.	EQUITY AND LIABILITIES		
(1)	Shareholders' funds		
	(a) Share capital		
	(b) Reserves and surplus		
	(c) Money received against share warrants		
(2)	Share application money pending allotment		
(3)	Non-current liabilities		
	(a) Long-term borrowings		
	(b) Deferred tax liabilities (net)		
	(c) Other long term liabilities		
	(d) Long term provisions		
(4)	Current liabilities		
	(a) Short-term borrowings		
	(b) Trade payables		
	(c) Other current liabilities		
	(d) Short-term provisions		
	TOTAL	0.00	0.00
II.	ASSETS		
(1)	Non-current assets		
	(a) Fixed assets		
	(i) Tangible assets		
	(ii) Intangible assets		
	(iii) Capital work-in progress		
	(iv) Intangible assets under development		
	(b) Non-current Investments		
	(c) Deferred tax assets (net)		
	(d) Long-term loans and advances		
	(e) Other non-current assets		
(2)	Current assets		
	(a) Current investments		
	(b) Inventories		
	(c) Trade receivables		
	(d) Cash and cash equivalents		
	(e) Short-term loans and advances		
	(f) Other current assets		
	TOTAL	0.00	0.00

II. Detailed Balance sheet items (Amount in Rupees)**A. Details of long term borrowings (unsecured)****B.**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Bonds/ debentures		
Term Loans		
-From banks		
-From other parties		
Deferred payment liabilities		
Deposits		
Loans and advances from related parties		

Long term maturities of financial lease obligations		
Other loans & advances		
Total long term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

B. Details of short term borrowings (unsecured)

Particulars	Currents reporting period	Previous reporting period
Loans repayable on demand		
-From banks		
-From other parties		
Loans and advances from related parties		
Deposits		
Other loans and advances		
Total short term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

C. Details of long term loans and advances (unsecured, considered good)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to other related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loan and advances (unsecured, considered good)	0.00	0.00
Loans and advances due by directors/ other officers of the company		

D. Details of long term loans and advances (doubtful)

	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loan and advances (doubtful)	0.00	0.00
Loans and advances due by directors/ other officers of the company		

E. Details of trade receivables

Particulars	Current reporting period		Previous reporting period	
	Exceeding six months	Within six months	Exceeding six months	Within six months
Secured, considered good				
Unsecured, considered good				
Doubtful				
Total trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts				
Net trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Debt due by (directors/others officers of the company				

III. *Financial parameters – Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date		
1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	
5	Share application money received and due for refund	
6	Paid-up capital held by foreign company	%
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries	%
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital reserve	
20	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
21	Inter-corporate deposits	
22	Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable)	
23	Capital subsidies or grants received from government authority(ies)	
24	Calls unpaid by directors	
25	Calls unpaid by others	
26	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
27	Forfeited shares reissued	
28	Borrowing from foreign institutional agencies	
29	Borrowing from foreign companies	
30	Inter-corporate borrowings -secured	
31	Inter-corporate borrowings –unsecured	
32	Commercial Paper	
33	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
34	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
35	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
36	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
37	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
38	Default in payment of short term borrowings and interest thereon	
39	Default in payment of long term borrowings and interest thereon	
40	Whether any operating lease has been converted to financial lease or <i>vice-versa</i> o Yes o No	
	Provides details of such conversions	
	<div style="border: 1px solid black; width: 600px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	
41	Net Worth of the company	
42	Number of shareholders to whom shares allotted under private	

	placement during the reporting period	
43	Secured Loan	
44	Gross fixed assets (including intangible assets)	
45	Depreciation and amortization	
46	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	
47	Unhedged Foreign Exchange Exposure	

IV. Share capital raised during the reporting period (Amount in Rupees)

Particulars	Equity shares	Preference shares	Total
(a) Public issue			0.00
(b) Bonus issue			0.00
(c) Rights issue			0.00
(d) Private placement arising out of conversion of debentures <u>or</u> preference shares			0.00
(e) Other private placement			0.00
(f) Preferential allotment arising out of conversion of debentures or preference shares			0.00
(g) Other preferential allotment			0.00
(h) Employee Stock Option Plan (ESOP)			0.00
(i) Other			0.00
(j) Total amount of share capital raised during the reporting period	0.00	0.00	0.00

V. Details related to cost records and cost audit

1. *Whether maintenance of cost records by the company has been mandated under Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 Yes No

If yes, Central Excise Tariff Act Heading in which the product/ service is covered

--

2. If yes, Central Excise Tariff Act Heading in which the product/ service is covered

--

SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT**I. Statement of Profit and Loss**

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period)		Figures for the period (Previous reporting period)	
		From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)	From (DD/MM/YYYY)	To (DD/MM/YYYY)
(I)	Revenue from operations				
	Domestic turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				
	(iii) Sale or supply of services				
	Export turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				

	(iii) Sale or supply of services		
(II)	Other Income		
(III)	Total Revenue (I+II)	0.00	0.00
(IV)	Expenses		
	Cost of materials consumed		
	Purchases of stock in trade		
	Changes in inventories of <ul style="list-style-type: none"> • Finished goods 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Work-in-progress 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stock in trade 		
	Employee benefit expenses		
	Managerial remuneration		
	Payment to Auditors		
	Insurance expenses		
	Power and fuel		
	Finance cost		
	Depreciation and amortization expenses		
	Other expenses		
	Total expenses	0.00	0.00
(V)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	0.00	0.00
(VI)	Exceptional items		
(VII)	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)	0.00	0.00
(VIII)	Extraordinary items		
(IX)	Profit before tax (VII-VIII)	0.00	0.00
(X)	Tax Expense		
	(1) Current tax		
	(2) Deferred tax		
(XI)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)	0.00	0.00
(XII)	Profit/(Loss) from discontinuing operations		
(XIII)	Tax expense of discontinuing operations		
(XIV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)	0.00	0.00
(XV)	Profit/(Loss) (XI+XIV)	0.00	0.00
(XVI)	Earnings per equity share before extraordinary items		
	(1) Basic		

	(2) Diluted		
(XVII)	Earnings per equity share after extraordinary items		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		

II. Detailed Profit and Loss items (Amount in Rupees)**A. Details of earning in foreign exchange**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Export of goods calculated on FOB basis		
Interest and dividend		
Royalty		
Know-how		
Professional and consultation fees		
Other income		
Total Earning in Foreign Exchange	0.00	0.00

B. Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Import of goods calculated on CIF basis		
(i) Raw material		
(ii) Component and spare parts		
(iii) Capital goods		
Expenditure on account of		
Royalty		
Know-how		
Professional and consultation fees		
Interest		
Other matters		
Dividend paid		
Total Expenditure in foreign exchange	0.00	0.00

III. *Financial parameters – Profit and loss account items (amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend			%
2	Earnings per share (in Rupees)	Basic		
		Diluted		
3	Income in foreign currency			
4	Expenditure in foreign currency			
5	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)			
6	Rent paid			
7	Consumption of stores and spare parts			
8	Gross value of the transaction with the related parties as per AS-18 (if applicable)			
9	Bad debts of related parties as per AS-18 (if applicable)			

IV. Details related to principal products or services of the company

Total number of product/ services category(ies)

1	Product or service category code (ITC/NPCS 4 digit code)	<input type="text"/>
	Description of the product or service category	<input type="text"/>
	Turnover of the product or service category (in Rupees)	<input type="text"/>
	Highest turnover contributing product or service code (ITC/NPCS 8 digit code)	<input type="text"/>
	Description of the product or service	<input type="text"/>
	Turnover of highest contributing product or service (in Rupees)	<input type="text"/>

Note – Please refer to ‘Indian Trade Classification’ based on harmonized commodity description and coding system issues by the ministry of Commerce & Industry for Product Codes and National Product Classification for Services (NPCS) for Services codes issued by Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India.

Segment III: Reporting of Corporate Social Responsibility (CSR)

1. (a) (i) *Whether CSR is applicable as per section 135 Yes No

(ii) Turnover (in Rs.)

(iii) Net worth (in Rs.)

(b) Net profits for last three financial years

Financial year ended			
Profit before tax (In Rs.)			
Net Profit computed u/s 198 adjusted as per rule 2(1)(f) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 (in Rs.)			

2. Average net profit of the company for last three financial years (as defined in explanation to sub-section (5) section 135 of the Act) (in Rupees)

3. Prescribed CSR Expenditure (two per cent. of the amount as in item 2 above) (in Rupees)

4. (a) Total amount spent on CSR for the financial year (in Rupees)

(b) Amount spent in local area (in Rupees)

(c) Manner in which the amount spent during the financial year as detailed below:

Number of CSR activities

(If number of programmes/projects/activities is more than twenty, submit the remaining details in EXCEL sheet as specified in instruction kit):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs - Specify the State /Union Territory where the Project/ Program was undertaken	Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.)	Amount spent on the projects or programs (in Rs.)	Expenditure on Administrative overheads (in Rs.)	Mode of Amount spent
1								
2								
3								
	TOTAL							

5. Give details (name, address and email address) of implementing agency(ies)

6. Explanation for not spending

If others, specify

--

7. Whether a responsibility statement of the CSR Committee on the implementation and monitoring of CSR Policy is enclosed to the Board's Report Yes No

SEGMENT IV: DISCLOSURE ABOUT RELATED PARTY TRANSACTIONS

Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

1. Number of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Name(s) of the related party	Nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/transactions

Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Number of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Name(s) of the related party	Nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions

Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any

Segment V: Auditor's Report

- I. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 Yes No

(b) If yes, provide following details:-

S. No.	Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India	Board of Director's reply(ies) on comments received from CAG of India
I		

II		
----	--	--

(c) Whether Comptroller and Auditor-General of India has conducted supplementary or test audit under section 143 o Yes o No

II. Details of remarks made by auditors and applicability of CARO

1. *Whether auditors' report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks o Yes o No

2. If yes, number of qualifications or reservations or adverse remarks

S. No.	(a) Auditors' qualifications, reservations or adverse remarks in the auditors' report	(b) Directors' comments on qualifications, reservations or adverse remarks of the auditors as per Board's report
I		
II		

3. *Whether Companies (Auditors' Report) Order (CARO) applicable o Yes o No

4. Auditors' comment on the items specified under Companies (Auditors' Report) Order (CARO)

Particulars	Auditors' comments on the report
Fixed assets	
Inventories	
Loans given by the company	
Acceptance of Public Deposits	
Maintenance of Cost records	
Statutory dues	
Term loans	
Fraud noticed	
Others	

SEGMENT-VI- Miscellaneous

1. *Whether the Secretarial Audit is applicable o Yes o No

2. *Whether detailed disclosures with respect to Directors' report under sub-section (3) of section 134 is attached. o Yes o No

<input type="radio"/> Chartered accountant (in whole-time practice) or	<input type="radio"/> Cost accountant (in whole-time practice) or
<input type="radio"/> Company secretary (in whole-time practice)	
Whether associate or fellow	<input type="radio"/> Associate <input type="radio"/> Fellow
Membership number	<input type="text"/>
Certificate of practice number	<input type="text"/>

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

<input type="button" value="Modify"/>	<input type="button" value="Check Form"/>	<input type="button" value="Prescrutiny"/>	<input type="button" value="Submit"/>
---------------------------------------	---	--	---------------------------------------

For office use only:

	<input type="button" value="Affix filing details"/>
eForm Service request number (SRN) <input type="text"/>	eForm filing date <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer	
This e-Form is hereby registered <input type="text"/>	<input type="button" value="Confirm submission"/>
Date of signing <input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

[F. No. 1/19/2013 CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 239(E), dated 31.03.2014 and was amended vide notification number G.S.R. 723(E) dated 14.10.2014, G.S.R 37 (E) dated 16.01.2015, and G.S.R. 680(E) dated 04.09.2015.